न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देसूरी, जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री भागीरथराम चौधरी (आरएएस)
राजस्व वाद संख्याः– 15/2022

तारीख दायराः– 21.02.2022

वादीः– 1. रामप्रताप पुत्र जेठमल, आयु 72 वर्ष, जाति– नंदवाना बोहरा, निवासी सादडी, तहसील–देसूरी, जिला–पाली(राज.)
2. राधा बाई धर्मपत्नी रामप्रताप, आयु 50 वर्ष, जाति–नंदवाना बोहरा, निवासी–सादडी, तहसील–देसूरी जिला–पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगणः– 1. लाल चंद पुत्र लक्ष्मीनाराणजी का स्वर्गवास होने से कायम मुकाम वारिसान 1/1 ओमप्रकाश पुत्र लालचंद, आयु 61 वर्ष, जाति नंदवाना बोहरा, निवासी सादडी, तहसील देसूरी, जिला पाली (राजस्थान)
2. तहसलीदार देसूरी (भूमिधारी)राजस्थान सरकार जिला–पाली (राज.)

वाद अन्तर्गत धारा ,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः 1.श्री दिनेश कुमार माली अधिवक्ता वादी की ओर से
2.प्रतिवादी संख्या 1/1 एक पक्षीय

निर्णय दिनांक 10-1-2024

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया है कि मौजा सरहद ग्राम सादडी 2 तहसील देसूरी की सीमा क्षेत्र के खसरा संख्या 3165 क्षेत्रफल 0.75 हैक्टर किस्म नहरी दोयम कुल खसरा संख्या 1, कुल क्षेत्रफल 0.75 हैक्टर, कुल देय लगान 12.75 रूपए की खातेदारी कृषि भूमि विद्यमान है। जिसके प्रमाण में संवत 2073–76 के खाता संख्या 43 की जमाबदी प्रस्तुत की है।

वादीगण ने प्रतिवादी लालचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण से वादग्रस्त आराजी को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 17.10.1997 को खरीद कर खातेदारी हक अधिकार प्राप्त किया था। प्रमाण में विक्रय विलेख की प्रतिलिपि पेश की गयी।

वादग्रस्त आराजी में वादी को लालचन्द से खातेदारी हक अधिकार क्रय करने से खातेदारी हक अधिकार प्राप्त होने ओर कब्जा कास्त वादीगण को प्राप्त होने के उपरान्त भी प्रतिवादी ने वादी की जानकारी के बिना बाले–बाले वादग्रस्त आराजी में फोतेदगी नामान्तकरण का इन्द्राज करवा दिया जबकि लालचन्द ने अपने जीवनकाल में ही वादग्रस्त आराजी के सम्पूर्ण हक अधिकार वादीगण को बेचान कर दिए थे। लालचन्द के स्थान पर वादग्रस्त

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

आराजी में दर्ज नामान्तकरण वादीगण के हक अधिकारों के विपरित अवैध और प्रभाव शुन्य है। लालचन्द के स्थान पर प्रतिवादी ओमप्रकाश का नाम वादग्रस्त आराजी के भू–अधिकार अभिलेखों में इन्द्राज होने ओर वादीगण के नाम से पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण इन्द्राज नहीं करने से वादीगण द्वारा बाबत खातेदारी हक अधिकारों की घोषणा का पेश करने के अलावा ओर कोई विकल्प नहीं होने से वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी खातेदारी हक अधिकारों की घोषणा और प्रतिवादी संख्या 1/1 का नाम भू–अधिकारों अभिलेखों से विलोपित कराने हेतु अर्न्तगत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया है।

संयुक्त और सामलाती खातेदारी की वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 को किसी प्रकार के कोई खातेदारी हक अधिकार निहित नहीं होने के उपरान्त भी गलत ओर मिथ्या इन्द्राजों से नामान्तकरण के जरिये भू–अधिकार अभिलेखों में नाम आने से प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को जोर जबरदस्ती से बेदखल कर वादग्रस्त आराजी को भारग्रस्त करने आगे से आगे बेचान कर वाद विवाद बढाने इत्यादि की धमकिया दे रहे है।

प्रतिवादी को उक्त कृत्यों को करने से रोकना नितांत आवश्यक होने से निषेधाज्ञा हेतु वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया है।

वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 ने पूर्ववर्ती बेचान के विधिक अस्तित्व में रहते बिना किसी कब्जा हक अधिकार के फोतेदगी नामान्तकरण बाले–बाले पटवारी से मिलकर बिना जांच के अपने पक्ष में करवाकर अवैध शून्य ओर निष्प्रभावी नामान्तकरण के जरिए भू–अभिलेखों में प्रतिवादी के नाम का इन्द्राज होने से वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने की प्रतिवादी वर्तमान में धमकिया देने से बिनाय वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बमुकाम सादडी में प्राप्त हुआ जो वर्तमान में भी जारी है। जिससे वाद अन्दर म्याद प्रस्तुत है।

वाद में मुख्य अनुतोष प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध होने तथा वाद बाबत जोत की घोषणा निषेधाज्ञा का होने से प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार देसूरी (भूमीधारी) को राज्य सरकार को पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया।।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी निम्नानुसार जारी किए जाने हेतु निवेदन किया है। अर्थात निम्न रिलीफ चाही गई है।

1. मौजा सरहद ग्राम सादडी चक 2 तहसील देसूरी के खसरा संख्या 3165 रकबा 0.75 हैक्टर किस्म नहरी दोयम कुल लगान 12.75 रूपए की वाद ग्रस्त आराजी से प्रतिवादी संख्या 1/1 ओम प्रकाश का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण को संयुक्त खातेदार घोषित किया जावे।
2. प्रतिवादी संख्या 1/1 के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त आराजी से वादीगण को बेदखल नहीं करे। एवं ना ही करावे। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1/1 ओर उसके प्रतिनिधिगण किसी प्रकार से प्रवेश नहीं करें। एवं ना ही कोई निर्माण कार्य करे।

वादग्रस्त आराजी को गैर कृषि में परिवर्तित नहीं करे एवं ना ही किसी से अवैध कार्य करावे। वादग्रस्त आराजी को भारग्रस्त नहीं करे। न ही आगे से आगे बेचान हस्तानान्तरण करे।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1 बाहर रहने से सम्मन अदम तामील प्राप्त हुआ। तत्पश्चात बम्बई के निवास स्थान पर रजिस्टर्ड A/D से सम्मन भिजवाये गए। रजिस्टर्ड A/D लिफाफे पर LEFT लिखा हुआ प्रतिवादी लेने से इन्कार किया, लिफाफा मूल प्राप्त हुआ जिसे तामील माना गया बावजुद सम्मन तामिल के प्रतिवादी संख्या 1/1 अनुपस्थित होने से 28.09.2022 को प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है।

प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा जबावदावा प्रस्तुत नहीं करने से पत्रावली साक्ष्यवादी में निहित की गई। साक्ष्यवादी रामप्रताप पुत्र जेठमल एवं साक्ष्यवादी राधा बाई पत्नी रामप्रताप के साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किए, दोनों वादीगण के बयान लिए गए। एवं पत्रावली में दस्तावेज exibit कराये गये। साक्ष्य वादी में दोनों वादीगण द्वारा अपने बयान में जाहिर किया है कि प्रर्दश एक वर्तमान जमाबंदी ग्राम सादडी चक 2 के खसरा नंबर 3165 है। प्रर्दश दो जमाबदी संवत 2062–2065 है। प्रर्दश 3 हमारे पक्ष में है। प्रतिवादी लालचन्द द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड विकय विलेख दिनांक 17.10.1997 है, जिसकी फोटो प्रति पत्रावली में प्रर्दश 3A है। वादग्रस्त भूमि माफिक वाद का अनुतोष हमारे नाम घोषित किया जावे।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया की वादीगण ने प्रतिवादी लालचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण से वादग्रस्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विकय विलेख दिनांक 17.10.1997 को खरीद कर खातेदारी हक अधिकार प्राप्त किया था। विकय विलेख की प्रति पत्रावली में संलग्न है। वादग्रस्त आराजी में वादी को लालचन्द से खातेदारी अधिकार कय करने से कब्जा कास्त वादीगण को प्राप्त होने के उपरान्त भी प्रतिवादी ने वादी की जानकारी के बिना वादग्रस्त आराजी में फोतेदगी नामान्तकरण का इन्द्राज करवा दिया, जबकि लालचन्द ने अपने जीवन काल में ही वादग्रस्त आराजी के सम्पूर्ण हक अधिकार वादीगण को बेचान कर दिए थे। लालचन्द के स्थान पर वादग्रस्त आराजी में दर्ज नामान्तरकरण वादीगण के हक अधिकारों के विपरीत अवैध एवं प्रभाव शुन्य है। लालचन्द के स्थान पर प्रतिवादी ओमप्रकाश का नाम वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेखों में इन्द्राज होने और वादीगण के नाम से पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण इन्द्राज नहीं करने से वादीगण द्वारा बाबत खातेदारी हक अधिकारों की घोषणा का वाद प्रतिवादी के विरूद्ध पेश करना पडा। वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी संख्या 1/1 ओमप्रकाश का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण को संयुक्त खातेदार घोषित किया जावे। एवं प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करे।

अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न राजस्व अभिलेख एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि वादीगण ने प्रतिवादी लालचन्द से वादग्रस्त आराजी को जरिए रजिस्टर्ड विकय विलेख दिनांक 17.10.1997 को खरीद किया जाकर कब्जा काश्त वादीगण को प्राप्त है। वादग्रस्त आराजी वादीगण द्वारा खरीद करने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1/1 ने वादी की जानकारी के बिना ओमप्रकाश ने अपने नाम फोतेदगी म्यूटेशन के दौरान अपना स्वयं का नाम राजस्व अभिलेख में विधि विरूद्ध दर्ज कराना प्रतीत होता है। जब कि विकय के पश्चात वादग्रस्त आराजी का नामान्तकरण वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करना था। प्रतिवादी संख्या 1/1 का नाम दर्ज किया गया है। जिससे विलोपित करना आवश्यक है।

सहायक कलेक्टर
(एम.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। मौजा सरहद ग्राम सादडी चक 2 तहसील देसूरी जिला पाली के खसरा नंबर 3165 रकबा 0.75 हैक्टर किस्म नहरी दोयम कुल देय लगान 12.75 रूपए की वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी संख्या 1/1 ओमप्रकाश का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण संख्या 1 व 2 को संयुक्त खातेदार घोषित किया जाता है। एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण को प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी मे किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करे, बेचान हस्तानान्तरण नहीं करे ना ही कोई निर्माण इत्यादि करे। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय की सत्यापित प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार देसूरी को राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10-1-2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

भागीरथराम चौधरी (आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner